

**न्यायालय:श्रीष कौलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला-बालाघाट, (म.प्र.)**

वि.आप.प्रक.कमांक-29 / 2015

संस्थित दिनांक-22.04.2014

फाइलिंग नम्बर-234503002162014

1-श्रीमती पूनम पंचेश्वर पति पप्पू भंवरे, उम्र-24 वर्ष, जाति मरार,
निवासी-ग्राम आमाडोंगरी (ककैया), तहसील व थाना बिछिया,
जिला मण्डला म.प्र.
हाल मुकाम-वार्ड नंबर-9, सिविल लाईन बैहर, तहसील बैहर,
जिला बालाघाट म.प्र.

आवेदिका

// विरुद्ध //

पप्पू भंवरे पिता लाललमन भंवरी, उम्र-32 वर्ष, जाति मरार,
निवासी-ग्राम आमाडोंगरी (ककैया), तहसील व थाना बिछिया,
जिला मण्डला म.प्र.

अनावेदक

// आदेश //
(आज दिनांक-05/07/2016 को पारित)

- 1- इस आदेश द्वारा आवेदिका की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा-125 दण्ड प्रक्रिया संहिता वास्ते भरण-पोषण राशि दिलाये जाने बाबद् का निराकरण किया जा रहा है।
- 2- प्रकरण में यह स्वीकृत है कि आवेदिका, अनावेदक की वैध विवाहिता पत्नी है।
- 3- आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदिका पूनम का विवाह अनावेदक पप्पू से दिनांक-17.05.2013 को हुआ था। विवाह के पश्चात आवेदिका अपने ससुराल में जाकर निवास करने लगी तभी अनावेदक और उसके परिवारवालों से उसे ताने देना शुरू कर दिया कि वह कम दहेज लाई है। आवेदिका ने अनेक बार अपने ससुराल पक्ष के लोगों को समझाने का प्रयास किया कि उसके माता-पिता गरीब हैं और उन्होंने अपनी हैसियत से उसकी शादी में दहेज दिया था। अनावेदक द्वारा छोटी-छोटी बातों को लेकर उसके साथ मारपीट की जाती थी। अनावेदक तथा उसके परिवारवालों की प्रताड़ना के कारण उसका स्वास्थ्य खराब होने लगा। अनावेदक द्वारा आवेदिका को अनेक प्रकार से तंग किया जाता था और अंत में आवेदिका को मारपीट कर ससुराल से निकाल दिया गया। आवेदिका स्वयं अपना भरण-पोषण करने में समर्थ नहीं है। अनावेदक साधन संपन्न व्यक्ति है। अनावेदक के पास ग्राम आमाडोंगरी

में लगभग 5 एकड़ भूमि है जिससे उसे सालाना दो लाख रुपये की आय होती है। अतः आवेदिका के भरण-पोषण हेतु चार हजार रुपये की राशि अनावेदक से दिलाई जावे।

4— अनावेदक द्वारा आवेदन पत्र का उत्तर प्रस्तुत कर यह कहा गया है कि आवेदिका विवाह के पश्चात उसके साथ ग्राम आमाडोंगरी में निवास करती थी। इसके पश्चात वह स्वयं अपनी इच्छा से अपने मायके बैहर चले गई। अनावेदक ने आवेदिका को वापस अपने साथ ले जाने का प्रयास किया, किन्तु आवेदिका बार-बार अपने मायके बैहर आ जाती थी। आवेदिका बिना किसी पर्याप्त आधार के अनावेदक से पृथक निवास कर रही है। अनावेदक भूमिहीन व्यक्ति है तथा वह स्वयं अपने माता-पिता पर आश्रित है। ऐसी स्थिति में आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र सव्यय निरस्त किया जावे।

5— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि :-

1. क्या आवेदिका युक्तियुक्त कारणों से अनावेदक से पृथक रह रही है ?
2. क्या आवेदिका स्वयं अपना भरण-पोषण करने में समर्थ है ?
3. क्या अनावेदक आवेदिका का भरण पोषण हेतु दायित्वाधीन है ?

विचारणीय बिन्दु कं.-1 का सकारण निष्कर्ष :-

6— आवेदिका पूनम पंचेश्वर (आ.सा.1) ने अपने कथन में कहा है कि अनावेदक मारपीट कर उससे दहेज की मांग करता था इसलिये अनावेदक और उसके परिवारवालों की प्रताड़ना से तंग आकर वह अपने मायके आकर रहने लगी। लगभग डेढ़ वर्ष से वह अनावेदक से पृथक निवास कर रही है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि उसने पुलिस थाने में अनावेदक के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी परन्तु इस आशय का कोई भी दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदिका के कथनों का समर्थन साक्षी देवकरण पटेल (आ.सा.2) ने किया है और कहा है कि आवेदिका ने उसे बताया था कि अनावेदक पैसों की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट करता है। साक्षी देवकरण (आ.सा.2) स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत व्यक्ति है और वह प्रकरण में इस बिंदु पर अखण्डित रहा है कि आवेदिका अपनी मर्जी से अनावेदक से पृथक अपने मायके में निवास कर रही है। आवेदिका के कथनों का समर्थन महारिनबाई (आ.सा.3) ने अपने न्यायालयीन कथनों में किया है और कहा है कि आवेदिका उसकी पुत्री है। अनावेदक दहेज में सोने की चैन, गाड़ी व रुपये की मांग करता था जो पूरी नहीं की जाने पर अनावेदक आवेदिका को मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया है कि आवेदिका अपनी मर्जी से अपने मायके में निवास करती है और अनावेदक द्वारा उसे ससुराल ले जाने का प्रयास करने पर भी वह अपने ससुराल जाकर नहीं रहती है। यद्यपि आवेदिका की ओर से पुलिस थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज कराये जाने के संबंध में कोई दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं परन्तु आवेदिका पक्ष ने स्पष्टतः यह कहा है

कि आवेदिका से अनावेदक और उसके परिवारवाले दहेज की मांग करते थे और उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया गया, इसलिये आवेदिका अपने मायके में निवास कर रही है। दहेज के लिये प्रताड़ित किये जाने से आवेदिका का पृथक निवास किया जाना युक्तियुक्त माना जावेगा तथा विचारणीय बिंदु क्रमांक-1 का निष्कर्ष प्रमाणित के रूप में दिया जाता है।

विचारणीय बिंदु क्र. -2 व 3 का निष्कर्ष :-

7— आवेदिका का कहना है कि वह अपना भरण-पोषण करने में समर्थ नहीं है। आवेदिका ने यह भी कहा है कि उसे महीने में लगभग 6 हजार रुपये का खर्चा लगता है। उसे भरण-पोषण हेतु प्रतिमाह 6 हजार रुपये की आवश्यकता है। आवेदिका का कहना है कि अनावेदक के पास लगभग 4 एकड़ कृषि भूमि है। इसके अतिरिक्त अनावेदक बिल्डिंग का कार्य भी करता है जिससे उसे प्रतिमाह 6-7 हजार रुपये की आय होती है। आवेदिका साक्षी महारिनबाई (आ.सा.3) ने कहा है कि अनावेदक राजमिस्त्री के रूप में कार्य करता है। आवेदिका के कथनों का समर्थन देवकरण पटेल (आ.सा.2) ने भी किया है। प्रतिपरीक्षण में अनावेदक पक्ष की ओर से यह सुझाव दिया गया है कि अनावेदक विकलांग है जिसके विषय में आवेदिका साक्षी ने कहा है कि अनावेदक संपूर्ण कार्य कर लेता है और वह विकलांग नहीं है और उस पर विकलांगता का प्रभाव नहीं है। विकलांगता के विषय में कोई प्रमाणिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। आवेदिका की ओर से अनावेदक की मासिक आय के विषय में कोई दस्तावेज अथवा अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, जिसके कि अनावेदक की आय की स्पष्ट धारणा की जा सके। आवेदिका अनावेदक की वैध विवाहिता पत्नी है यह बात प्रकरण में स्वीकृत है इसलिये अनावेदक आवेदिका के भरण-पोषण के लिये दायित्वाधीन है। आवेदिका स्वयं का भरणपोषण करने में समर्थ है यह बात भी अभिलेख से प्रकट नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में यही माना जावेगा कि आवेदिका स्वयं का भरणपोषण करने में समर्थ नहीं है। अतएव विचारणीय बिंदु क्रमांक-2 का निष्कर्ष प्रमाणित के रूप में दिया जाता है।

8— विचारणीय बिंदु क्रमांक-1 के निष्कर्ष में यह प्रमाणित पाया गया है कि आवेदिका, अनावेदक से युक्तियुक्त कारण से पृथक निवास कर रही है। यह भी प्रमाणित पाया गया है कि आवेदिका स्वयं का भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं है एवं अनावेदक, आवेदिका का भरण-पोषण करने के लिए दायित्वाधीन है। अनावेदक की निश्चित आय की धारणा नहीं की जाने के कारण वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए आवेदिका को भरण-पोषण के लिए 1500/-रुपये प्रतिमाह की राशि दिलाया जाना उचित होगा।

9— आवेदिका का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है। अनावेदक आवेदिका को भरण-पोषण हेतु प्रतिमाह 1500/-रुपये की राशि का भुगतान करेगा। यह राशि अनावेदक

आवेदिका को प्रत्येक माह की 1 से 10 तारीख के बीच में भुगतान करेगा।

10— आवेदिका को आदेश की एक प्रति निःशुल्क प्रदान की जावे।

आदेश खुले न्यायालय में पारित कर
हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

मेरे निर्देश पर टंकित किया।

सही /—

दिनांक—05.07.2016

(श्रीष कौलाश शुक्ल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, बालाघाट म0प्र0

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)